Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding irregularities in storage of paddy in Chhattisgarh.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, छतीसगढ़ के किसानों की धान ग्रामीण सहकारी स‍ के द्वारा खरीदी जाती है। जहां राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा 72 घंटों में धान को खरीदी केंद्र उठाकर भंडारण केंद्र में ले जाने का प्रावधान है। लेकिन, दिसम्बर माह मे खरीदी गई धान को अब मार्च उठया जा रहा है। ऐसे में धान की सूखती आना स्वाभाविक है और सरकार द्वारा भी 3% की छूट दी गई है।

लेकिन, वर्तमान में 0% सूखती दर्शाओ कहकर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभा एवं संबंधित सह-सभा के प्रबन्धक/ समिति के विरुद्ध कार्यवाही कर यहाँ तक की उनकी मोटर साइकि और घर सम्पति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के अधिकारी खरीदी केन्द्रों प्रभारियों/ समितियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि उक्त संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वा की गई लापरवाही हेतु केंद्रीय जांच दल भेजकर जांच कराई जाए तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस् को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाई जाए।